सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग
सैंक्टर 1, सी–30 डिफैंस कालोनी, देहरादून

कार्यालय आदेश

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत विभिन्न लोक प्राधिकारियों, लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा/निरीक्षण, उनके मार्गदर्शन एवं इस अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में जनसामान्य की कठिनाईयों के संज्ञान / निराकरण एवं उनके सुझाव प्राप्त करने हेतु उत्तराखण्ड सूचना आयोग के माननीय राज्य सूचना आयुक्तों के मध्य अग्रिम आदेशों तक निम्नवत् क्षेत्र विभाजन किया जाता है :

श्री विनोद नौटियाल मा. राज्य सूचना आयुक्त	श्री अनिल कुमार शर्मा मा. राज्य सूचना आयुक्त	श्री प्रभात डबराल मा. राज्य सूचना आयुक्त
जनपद देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी एवं हरिद्वार	जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर	जनपद पौड़ी, रूद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर

2. संबंधित मा. राज्य सूचना आयुक्त उक्तानुसार भ्रमण, निरीक्षण तथा समीक्षा कर स्थलीय मार्गदर्शन के अतिरिक्त भ्रमण नोट / कार्यवृत्त आदि द्वारा संबंधित प्राधिकारी / अधिकारी का मार्गदर्शन करेंगे तथा आयोग को भी अवगत करायेंगे. उनके द्वारा अपना भ्रमण कार्यक्रम, (एक माह में अधिकतम पांच कार्य दिवस) इस तरह व्यवस्थित किया जायेगा कि आयोग में अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई / निस्तारण समय से होता रहे.

3. मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा प्रदेश के किसी भी जनपद का भ्रमण / निरीक्षण किया जायेगा.

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

संख्या : 5474/उ.सू.आ./2011 दिनांक : 22.6.2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं यथावश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. श्री विनोद नौटियाल, मा. सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
2. श्री अनिल कुमार शर्मा, मा. सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
3. श्री प्रभात डबराल, मा. सूचना आयुक्त, उत्तराखण्ड सूचना आयोग.
4. आयुक्त, गढ़वाल / कुमांऊ मण्डल, देहरादून /नैनीताल
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड को अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देशनार्थ.
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड
7. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड
8. गार्ड फाईल

आज्ञा से,
उप सचिव 22/6/11
उत्तराखण्ड सूचना आयोग

4. आयोग स्तर से विभिन्न प्रकाशनों, कार्यशालाओं, वीडियो कॉन्फ्रैंसिंग इत्यादि माध्यमों का प्रयोग कर जनसामान्य में सूचना का अधिकार अधिनियम के संबंध में जागरूकता बढ़ाने तथा अधिनियम का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया जाता रहा है. किंतु प्रदेश के नागरिकों द्वारा अधिनियम के वृहद उपयोग को संभव बनाने के लिए यह आवश्यक है कि अधिनियम की धारा 26 की विभिन्न धाराओं का पालन करते हुये राज्य सरकार के स्तर से अधिनियम के व्यापक प्रचार प्रसार के संबंध में सूचना एवं लोक संपर्क विभाग के माध्यम से प्रकाशन, टी.वी. एवं समाचार पत्र विज्ञापन, होर्डिंग, नुक्कड़ नाटक आदि के माध्यम से कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाये.

5. कृपया उपरोक्त के संबंध में राज्य सरकार के स्तर से समुचित कार्यवाही पूर्ण करने के लिए सम्मत दिशानिर्देश अपने अधीनस्थ स्तरों को निर्गत करने का कष्ट करें जिससे प्रदेश के समस्त नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्राविधानों के उपयोग के संबंध में जानकारी सुलभता से प्राप्त हो सके.

6. कृपया शासन स्तर से की गयी कार्यवाही की जानकारी आयोग को भी देने का कष्ट करें.

भवनिष्ठ,

(एन. एस. नपलच्याल)

श्री सुभाष कुमार
मुख्य सचिव
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून